अवस्थापना सुविधा न दे पाए तो भूखंड पर ब्याज से मिलेगी छूट

उद्यमियों के कोविड काल के बकाए व वस्त्र निगम के ऋण के लिए ओटीएस जल्द

अमर उजाला ब्यूरो

बिजली, पानी व सड़क उपलब्ध कराने के बाद ही अनुरक्षण शुल्क लेने का फैसला

लखनऊ। प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध न करा पाने पर उद्यमियों को आवंटित भूखंडों पर ब्याज से छूट अथवा रिफंड देने पर विचार कर रही है। अनुरक्षण शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। इसकी मांग काफी समय से की जा रही है।

अब यह तय किया गया है कि न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाएं और जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हो वहां पर उद्यमियों को आवंटित भूखंड पर ब्याज से छूट अथवा रिफंड दिया जाए। मतलब, भूखंड के लिए किस्तों में दी जाने वाली धनराशि पर लगने वाले ब्याज में छूट अथवा रिफंड दिया जाए। इसके लिए नियमों में प्रावधान करने को कहा गया है। वहीं हाउसिंग प्लाट आवंटन के बाद ही बिजली, पानी व सड़क जैसी अवस्थापना सुविधाओं के नाम पर अनुरक्षण शुल्क की वसूली शुरू हो जाती है। निर्देश दिया गया है कि ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही अनुरक्षण शुल्क वसूल किया जाएगा।

उद्यमियों के पूर्व बकाये को कोविड की अवधि में किस तरह जोड़ा जाए, इस पर भी जल्द निर्णय की तैयारी है। शासन इसके लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वस्त्र निगम की इकाइयों पर बैंकों के ऋण का भुगतान उलझता जा रहा है। शासन ने निदेशक उद्योग व प्रबंध निदेशक वस्त्र निगम को ऋण भुगतान की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना तैयार करने का निर्देश दे दिया है।

वहीं प्रदेश सरकार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को टाउनशिप घोषित करने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए शासन ने प्रस्ताव मांगे हैं।